FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

सोहनलाल बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंधा. 136 एलआर एक्ट मु0नं0 157 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/232

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
025	वकिल प्रार्थी श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अंधा. 136 एलआर एक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 05.05.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) 05/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/06/25 को पेश हो। 9/6 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 13/6/25 को पेश हो। 13/6 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ... कार्य का स्थगन ... । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/6/25 को पेश हो। 17/06/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं0धा0 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम "मोहनलाल पुत्र नागरमल" दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का नाम "मोहनलाल पुत्र नागरमल" की जगह "सोहनलाल पुत्र नागरमल" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, वोटर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.07.11 13:17
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर ... इस हु... में जा...
	आई डी कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:—	

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 2469 रकबा 6.31 है0 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम ''मोहनलाल पुत्र मामराज'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''सोहनलाल पुत्र मामराज'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:17:20 IST
Reason: SelfAttested